रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-13/2017/2038/22-2-2016-17(47)/2009

लखनऊ: दिनांक: 03 जनवरी, 2017

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, बरेली** के सिद्धदोष **बन्दी नौनीराम (बन्दी संख्या-33668) पुत्र श्री गंगाराम, निवासी-खुली बहारपुर, थाना-भमौरा, जिला-बरेली** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-456, 458/1995** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302 एवं 29 पुलिस एक्ट** के अधीन **दिनांक 12-09-1997** को मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिजनौर द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया तथा बन्दी द्वारा दिनांक 11.10.2016 तक काटी गयी 20 वर्ष 11 माह 01 दिन की अपरिहार तथा 27 वर्ष 02 माह 11 दिन की सपरिहार सजा को दृटिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, बरेली** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-13/2017/2038(1)/22-2-2016 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली ।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in